फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

सुरेश ठाकुर पिता स्व0 गोपाल ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-मण्डईखुर्द, पोस्ट-सुधार विद्यालय, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-37, प्लॉट संख्या-260, 266, 269, 287 एवं 639 रकवा क्रमशः 0.0033 एकड़, 0.0025 एकड़, 0.0142 एकड़, 0.02 एकड़ एवं 0.02 एकड़ कुल रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सुनैना देवी पति महाबीर हजाम, निवास स्थान ग्राम-राबैया, पोस्ट-बेढ़ना, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-188/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1055/रा0 दिनांक 16.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1153 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत लगरा हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 4.68 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.4235 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-37/I पर लगर हजाम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदक के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.3635 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुरेश ठाकुर पिता स्व0 गोपाल ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-मण्डईखुर्द, पोस्ट-सुधार विद्यालय, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-37, प्लॉट संख्या-260, 266, 269, 287 एवं 639 रकबा क्रमशः 0.0033 एकड़, 0.0025 एकड़, 0.0142 एकड़, 0.02 एकड़ एवं 0.02 एकड़ कुल रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सुनैना देवी पति महाबीर हजाम, निवास स्थान ग्राम-सबैया, पोस्ट-बेढ़ना, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.24 15:55:21 +05:30
Location: 192.168.0.101